पटना में दिनांक–29 अप्रैल, 2020 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

विधि विभाग

1.	न्यायमंडल, नालंदा (बिहारशरीफ), रोहतास (सासाराम), नवादा, सारण (छपरा), गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), वैशाली (हाजीपुर), दरभंगा तथा समस्तीपुर में अनु०जाति और अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यथा संशोधित) के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) की स्थापना के लिए आवश्यक विभिन्न कोटियों के कुल 81 अराजपत्रित पदों के सृजन के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

2.	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत क्रियान्वित ₹2.00 करोड़ तक की वार्डवार जलापूर्ति योजना की निविदा करने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत ₹2.00 करोड़ तक की योजना/पैकेज की निविदा के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाये जा रहे Model Bidding Document को यथावत् अंगीकार /लागू करने एवं सभी श्रेणी के संवेदकों द्वारा निविदा में भाग लेने, निविदा निष्पादन की शक्ति के विकेन्द्रीकरण, योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन/ तकनीकी स्वीकृति की शक्ति का विकेन्द्रीकरण, समय अवधि विस्तार की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं प्रथम बार आमंत्रित एकल निविदा के निस्तारण से संबंधित वर्तमान प्रावधानों/शक्तियों में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

3.	"विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत स्वीकृत 33 (तैंतीस) मुख्यमंत्री निश्चय पारामेडिकल संस्थानों में से 5 (पाँच) जिलों, यथा–नालन्दा (वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान कैम्पस), सीवान, बाँका, समस्तीपुर एवं रोहतास में निर्मित/निर्माणाधीन पारामेडिकल संस्थान के स्थान पर फार्मेसी महाविद्यालय के स्थापना की स्वीकृति।	3.	स्वीकृत।

परिवहन विभाग

4. कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से निर्गत निदेश के आलोक में देशभर में लागू लॉकडाउन की अवधि के लिए व्यावसायिक वाहन, पैसेन्जर वाहन एवं मालवाहक वाहन को कर जमा किये जाने हेतु 15 दिनों की देय अनुग्रह अवधि (Grace Period) को दिनांक–30.06.2020 तक विस्तारित किये जाने के संबंध में। — **4. स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

5. बिहार पशुधन विकास अभिकरण (BLDA), पटना एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से मरंगा, पूर्णियाँ में स्थापित होने वाले नये फ्रोजेन सीमेन स्टेशन के सफल संचालन हेतु विभिन्न कोटि के संविदा आधारित 59 (उनसठ) पदों के सृजन की स्वीकृति एवं प्रबंधन बोर्ड का गठन सहित तथा मरंगा फ्रोजेन सीमेन स्टेशन के सफल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2025–26 तक यानि आगामी छः वर्षो तक होने वाले कुल व्यय रूपये 37.71 करोड़ (सैंतीस करोड़ एकहत्तर लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति। — **5. स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

6. सब–रीजनल साईंस सेन्टर, गया के निर्माण कार्यो के अनुश्रवण एवं उसके संचालन के लिए तकनीकी/प्रशासनिक सहायक कर्मियों के कुल 8 (आठ) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **6. स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जीविका के माध्यम से सर्वेक्षित लाभुकों, शहरी क्षेत्रों में Community Organizers / Community Resource Persons / स्वयं सहायता समूहों के द्वारा सर्वेक्षित लाभुकों तथा RTPS Software के माध्यम से राशनकार्ड हेतु चयनित होने वाले लाभुकों को 1000/–(एक हजार रू०) की दर से कोरोना सहायता की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में। — **7. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

8. श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के 100 शैय्या के एम०सी०एच० भवन, 100 शैय्या के PICU भवन, 10 शैय्या का Trauma Centre एवं 442 शैय्या के अस्पताल (अर्थात कुल 652 शैय्या) के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक कुल 1039 (एक हजार उनचालीस) अतिरिक्त चिकित्सक शिक्षकों, चिकित्सकों, तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति। — **8. स्वीकृत।**